

न्यायालय भू अभिलेख अधिकारी एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला-पाली (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना, आई.एस

राजस्व विविध प्रकरण सं. (Gems No. 2022/118)

दायरा तिथि : 30.03.2022

आदेश दिनांक: 25.07.2022

प्रार्थीगण :-

1. पुष्करलाल पुत्र सवारामजी
2. हरीलाल पुत्र सवाराम
3. कन्हैयालाल पुत्र नगारामजी
4. वगताराम पुत्र नगारामजी तमाम जाति माली
निवासीगण फालना गांव तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)
बनाम

अप्रार्थी :-

राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली
उपस्थिति:-

1. श्री मूलसिंह यादव..... अभिभाषक प्रार्थीगण की ओर से
2. श्री ललित कुमार नायब तहसीलदार पैरोकार

--: आदेश :-

दिनांक : 25-07-22

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1956

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर धारित की जा रही खातेदारी भूमि ग्राम फालनागांव तहसील बाली के खसरा नंबर 942, 942/1270 कुल खसरा-02 कुल रकबा 1.25 हैक्टर किस्म बरानी बरानी दोयम में दर्ज अपने नाम पकीराम पुत्र सवाराम, हरीराम पुत्र सवाराम व कीकाराम पुत्र नगाराम, कानाराम पुत्र नगाराम को त्रुटिपुर्ण बताते हुये अपने पिता अपने सही व वास्तविक नाम हरीलाल पुत्र सवाराम, पुष्करलाल पुत्र सवाराम व कन्हैयालाल पुत्र नगाराम, वगताराम पुत्र नगाराम दुरस्ती के माध्यम से दर्ज किये जान का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों की पुष्टि में आधार कार्ड, स्कूल रेकॉर्ड, राशन कार्ड व मतदाता पहचान पत्र, बैंक डायरी, गैस डायरी, एल.आई.सी. पट्टा, पानी बिल आदि की प्रतियाँ पेश की गईं। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार, बाली से जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, फालनागांव ने जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत कर प्रार्थीगण के सही व वास्तविक नाम हरीलाल पुत्र सवाराम, पुष्करलाल पुत्र सवाराम व कन्हैयालाल पुत्र नगाराम, वगताराम पुत्र नगाराम होने से अन्य सरकारी दस्तावेजों में दर्ज सही एवं वास्तविक नाम के अनुसार प्रकरण में वर्णित भूमि ग्राम फालनागांव तहसील बाली के खसरा नंबर 942, 942/1270 कुल खसरा-02 कुल रकबा 1.25 हैक्टर किस्म बरानी बरानी दोयम में दर्ज प्रार्थीगण के त्रुटिपुर्ण नाम पकीराम पुत्र सवाराम, हरीराम पुत्र सवाराम व कीकाराम पुत्र नगाराम, कानाराम पुत्र नगाराम की बजाय सही व वास्तविक नाम हरीलाल पुत्र सवाराम, पुष्करलाल पुत्र सवाराम व कन्हैयालाल पुत्र नगाराम, वगताराम पुत्र नगाराम दर्ज किये जाने की अनुशंसा की गई।

पत्रावली व उपलब्ध रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा धारित दस्तावेजों यथा आधार कार्ड, स्कूल रेकॉर्ड, राशन कार्ड व मतदाता पहचान पत्र, बैंक डायरी, गैस डायरी, एल.आई.सी. पट्टा, पानी बिल में प्रार्थीगण के सही व वास्तविक नाम हरीलाल पुत्र सवाराम, पुष्करलाल पुत्र सवाराम व कन्हैयालाल पुत्र नगाराम, वगताराम पुत्र नगाराम दर्ज है, जबकि प्रार्थी द्वारा धारित की जा रही भूमि ग्राम फालनागांव तहसील बाली के खसरा नंबर 942, 942/1270 कुल खसरा-02 कुल रकबा 1.25 हैक्टर किस्म बरानी बरानी दोयम में प्रार्थीगण के त्रुटिपुर्ण नाम पकीराम पुत्र सवाराम, हरीराम पुत्र सवाराम व कीकाराम पुत्र नगाराम, कानाराम पुत्र नगाराम नाम दर्ज है। इस प्रकार प्रार्थीगण द्वारा धारित की जा कृषि भूमि के अधिकार अभिलेखों ग्राम फालनागांव तहसील बाली के खसरा नंबर 942, 942/1270 कुल खसरा-02 कुल रकबा 1.25 हैक्टर किस्म बरानी बरानी दोयम में प्रार्थीगण का त्रुटिपुर्ण नाम पकीराम पुत्र सवाराम, हरीराम पुत्र सवाराम व कीकाराम पुत्र नगाराम, कानाराम पुत्र नगाराम दर्ज होने की पुष्टि होती है। तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, फालनागांव ने अपनी जांच रिपोर्ट में प्रार्थीगण का सही व सही व वास्तविक नाम हरीलाल पुत्र सवाराम, पुष्करलाल पुत्र सवाराम व कन्हैयालाल पुत्र नगाराम, वगताराम पुत्र नगाराम होने से धारित कृषि भूमि ग्राम फालनागांव तहसील बाली के खसरा नंबर 942, 942/1270 कुल खसरा-02 कुल रकबा 1.25 हैक्टर किस्म बरानी बरानी दोयम दर्ज त्रुटिपुर्ण नाम पकीराम पुत्र सवाराम, हरीराम पुत्र सवाराम व कीकाराम पुत्र नगाराम, कानाराम पुत्र नगाराम की बजाय सही व वास्तविक नाम हरीलाल पुत्र सवाराम, पुष्करलाल पुत्र सवाराम व कन्हैयालाल पुत्र नगाराम, वगताराम पुत्र नगाराम दर्ज किये जाने की अनुशंसा की गई है। जिससे प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायसंगत है।

पेज लगातार....02

उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज)

//02//
राजस्व विविध प्रकरण सं. Gcms No. 2022/118
अनवान पुष्करलाल वगैरा बनाम तहसीलदार, बाली
प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है। प्रार्थीगण द्वारा धारित की जा रही कृषि भूमि ग्राम फालनागांव तहसील बाली के खसरा नंबर 942, 942/1270 कुल खसरा-02 कुल रकबा 1.25 हैक्टर किस्म बारानी बारानी दोयम में दर्ज प्रार्थीगण के त्रुटिपूर्ण नाम दुरस्ती के जरिये निम्नानुसार सही व शुद्ध नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं:-

अशुद्ध नाम	शुद्धनाम
पकीराम पुत्र सवाराम की जगह	पुष्करलाल पुत्र सवाराम
हरीराम पुत्र सवाराम की जगह	हरिलाल पुत्र सवाराम
कीकाराम पुत्र नगाराम की जगह	कन्हैयालाल पुत्र नगाराम
कानाराम पुत्र नगाराम की जगह	वगताराम पुत्र नगाराम

उक्त आदेश से ग्राम फालनागांव तहसील बाली के खसरा नंबर 942, 942/1270 कुल खसरा-02 कुल रकबा 1.25 हैक्टर किस्म बारानी बारानी दोयम में दर्ज प्रार्थीगण के त्रुटिपूर्ण नाम की जगह सही व वास्तविक नाम निम्नानुसार रेकॉर्ड में दर्ज हो जायेंगे:-

अशुद्ध नाम	शुद्धनाम
पकीराम पुत्र सवाराम की जगह	पुष्करलाल पुत्र सवाराम
हरीराम पुत्र सवाराम की जगह	हरिलाल पुत्र सवाराम
कीकाराम पुत्र नगाराम की जगह	कन्हैयालाल पुत्र नगाराम
कानाराम पुत्र नगाराम की जगह	वगताराम पुत्र नगाराम

रेकॉर्ड में दर्ज शेष इन्द्राज बदस्तुर कायम रखे जावे। आदेश प्रति तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, फालनागांव को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फौसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(सु) श्री धारण्ड उपाधिकारी
आई.एस.सी.
भू-अभिलेख अधिकारी एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

आदेश आज दिनांक 25-07-22 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

भू-अभिलेख अधिकारी एवं पटवारी
उपखण्ड अधिकारी, बाली
बाली, जिला-पाली (राज.)

